

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1.	हैदर खाँ पि. मुबारक खाँ कौम कायमखानी सा. देह खानेदार शेख बरखूर	258	1.72	रजाक खाँ पि. मुबारक खाँ कौम कायमखानी सा. देह खानेदार शेख बरखूर	258	1.72
2.	हैदर खाँ पि. मुबारक खाँ कौम कायमखानी सा. देह खानेदार शेख बरखूर	101 102	17.05 11.05	रजाक खाँ पि. मुबारक खाँ कौम कायमखानी सा. छापरी खुर्द खानेदार शेख बरखूर	101 102	17.05 11.05

क्रमांक : 319/120
प्रतिलिपि पालनार्थ : 4913/20
1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्काको भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

